

मिनार  
05-  
तह  
06-  
तह  
07-  
त

अर्चना पत्र क्र. 52/2022 पर अग्रिम डेडी कार्यवाही  
नहीं कर अर्चना पत्र विहीन किये जाने का निर्देश दिया।  
ऐसी स्थिति में अर्चना पत्र द्वारा डा. LRA पर कोई  
कार्यवाही अर्पित नहीं रह जाती है। अलग पड्डल  
जार्ज तथा अर्चना पत्रों के मौखिक निर्देश  
तथा अर्चना पत्रों के खींच कर अथवा अर्चना  
पत्र प्रस्तुत करने वाला एडवाइजर सुरक्षित  
रखते उसे अर्चना पत्र पर कार्यवाही नहीं कर  
पर समाप्त की जाती है। पगावली के तल  
सुमार हो। पगावली नम्बर नि. 5 म. दोहर  
व. कखिल. 6 पत्र हो।

**डिप्टी अडिक्टर**  
भिनाय (अजमेर) राज